



राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, जोधपुर

दूरभाष न० 0291-2540345 ई-मेल : jodhpur.we@rajasthan.gov.in



क्रमांक : एफ 39(2)मअ/मसस/2021-22/2541

दिनांक :- 10/10/2022

विज्ञप्ति

पुलिस जिला जोधपुर(शहर), जोधपुर(पश्चिम), व जोधपुर (ग्रामीण) में स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 के नियम 6 व 7 एवं नियम 7 तथा संशोधित आदेश दिनांक 26.08.2019 के बिन्दु 12 (2) में वर्णित प्रावधान अनुसार पात्रताधारी गैर-शासकीय संस्थाओं से एतद्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11.11.2022 सांयकाल 04:00 बजे तक उपनिदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिसका प्रारूप, पात्रता की शर्तें तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक महिला अधिकारिता जोधपुर के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

(फरसाराम विशनोई)

उपनिदेशक

महिला अधिकारिता, जोधपुर

उपनिदेशक

महिला अधिकारिता जोधपुर





राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, जोधपुर  
दूरभाष न0 0291-2540345 ई-मेल : jodhpur.we@rajasthan.gov.in



**महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु  
आवेदन प्रपत्र**

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)-2017, के नियम 6 एवं 7 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26/8/2019 के बिन्दु 12 के (2) के अन्तर्गत)

उपनिदेशक  
महिला अधिकारिता,  
जोधपुर.

विषय:-पुलिस जिला मुख्यालय .....(जोधपुर पूर्व/जोधपुर पश्चिम/जोधपुर ग्रामीण )  
पर स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु आवेदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था पुलिस जिला मुख्यालय.....में  
महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है-

**(क) संस्था का परिचय**

संस्था का नाम	
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संख्या	
	(प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या .....)
संस्था का पंजीकृत कार्यालय -पूर्ण पता	
संस्था का संविधान	(प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या .....)
संस्था की कार्यकारिणी	(प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या .....)
टेलीफोन व मोबाइल नम्बर	
फैक्स	
ई-मेल, यदि हो	
वेबसाइट, यदि हो	



(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव

संस्था का कार्यक्षेत्र	
संस्था के मूल उद्देश्य	
संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण	1. 2. 3. संक्षिप्त विवरण दें (विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न करे पृष्ठ संख्या .....
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण	1. 2. 3. संक्षिप्त विवरण दें (विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न करे पृष्ठ संख्या .....
संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण	1. 2. 3. संक्षिप्त विवरण दें (विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न करे पृष्ठ संख्या .....
क्या संस्था को व्यथित महिलाओं को सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा विस्तृत विवरण	1. 2. 3. संक्षिप्त विवरण दें (विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न करे पृष्ठ संख्या .....



**(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था**

संस्था में कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या व विवरण	क्र. सं.	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	मो. न.	संस्था में कार्यग्रहण तिथि	अनुभव (वर्षों में)
(उक्त सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न करे पृष्ठ संख्या.....)							
पिछले तीन वर्षों में संस्था की आय के स्रोत एवं व्यय का विवरण	क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आय के स्रोत	आय	व्यय	विशेष विवरण	
	1	2019-20					
	2	2020-21					
	3	2021-22					
	योग						
संस्था की सीए ऑडिट रिपोर्ट	(वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की सीए ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें पृष्ठ संख्या .....						
संस्था की वार्षिक रिपोर्ट	(वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के कार्यक्रमों व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें पृष्ठ संख्या .....						

**घोषणा**

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....(संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएं, जहां तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है। हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि महिला एवं सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)-2017 में दी गई शर्तों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों / आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी।

**हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी**

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)

हस्ताक्षर (सचिव)

नाम

नाम

पता/टेलीफोन नं. स्थान -  
स्थान-

पता/टेलीफोन नं स्थान-


दिनांक-



## पात्रता की शर्तें

महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान अधिसूचना (संशोधन)-2017 के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्त निम्नानुसार है:-

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12AA में अथवा राजस्थान लोकन्यास अधिनियम, 1959 (1959 या 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
2. संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हो।

  
उपनिदेशक  
महिला अधिकारिता जोधपुर